

405

कार्यालय कार्यपालन दण्डाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी

तहसीलदार कुण्डम

मूल निवासी का प्रमाण-पत्र

प्रकरण क्रमांक- 77 / वी. 121 वी 2002-03

दिनांक- 26/4/2003

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी अमिल कुमार

आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री रामसिंह पता ग्राम बुडबुडी

तहसील कुण्डम व जिला जबलपुर म. प्र.

का/की निवासी है, क्योंकि वह--

1. म.प्र. में पैदा हुआ/हुई है अथवा--
2. वह वैध पालक/अभिभावक के पास म.प्र. में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा/रही है (अथवा)
3. उसके पालकों में से स्थाई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है (अथवा)
4. केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म. प्र. में सेवारत है (अथवा)
5. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में 5 वर्ष से कार्य/धन्धा व्यवसाय करते हैं या यहाँ पर उनकी चल व अचल सम्पत्ति है--

इसके अतिरिक्त--

1. उसने म. प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष की शिक्षा प्राप्त की (अथवा)
 2. उसने म. प्र. में उक्त किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है।
 - (अ) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।
 - (ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा।
 - (स) पाँचवीं/प्राथमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा।
- टीप : जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जावे।

सत्यप्रतिलिपि

अधीक्षक

शासकीय पूक बधिष विद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

तहसीलदार

कुण्डम

प्राधिकृत अधिकारी

पद नाम एवं सील

